नगरीय निकाय निदेशालय "OM&M Cell"(संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन प्रकोष्ठ) प्लाट नं0—18, सेक्टर—7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या- 03/02 /OM&M /2020-21

दिनांक : 22 | 12 | 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—504/नौ—5—2020—394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27.11.2020 का कार्यवृत्त।

विषय:—उत्तर प्रदेश में स्थापित एसoटीoपीo व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone)

संदर्भ:--1. नगर विकास अनुभाग--5 के शासनादेश सं0-503/ नौ--5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

2 नगर विकास अनुमाग-5 के शासनादेश सं0-504/नै1-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—504/नौ—5—2020—394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:—

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता,	सदस्य-सचिव
	उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में उक्त विषयक बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक एवं फर्मों के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि ने सभागार में/जूम द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

- 2. बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं वांछित निर्णय लिये गये।
- 3. मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड०एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया।
- 4. उ०प्र० जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ०प्र० जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

5. समिति की संस्तुति / निर्णय :-

उपरोक्तानुसार उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन के माह सितम्बर, 2020, पैकेज-6 आगरा जोन के माह सितम्बर 2020, पैकेज-8 गाजियाबाद जोन के माह सितम्बर 2020 एवं पैकेज-5 गोरखपुर जोन के माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2020 तक के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल एवं फर्म की प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट. एन.ए.बी.एल एकिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट

पोर्ट एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ०प्र० जल निगम को असन्/निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

- (i) उ०प्र० जल निगम को पैकेज—4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक—3)
- (अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
1	11 th Payment Certificate / Bill- Sept 2020	रू० 7,08,39,303.00 (फर्म को भुगतान रू० 6,39,07,413.00 जीएसटी रू० 76,68,890.00) - Proposed Deduction of रू० 6,47,000.00 -Proposed LD of रू० 90,000.00	अनुबन्ध की क्लाज 39 सेक्शन—IV में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।

(ब) सिमति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.स.	विवरण	11 th Payment Certificate/ Bill- September 2020	
	PROPERTY.	(as per provision of agreement Adhoc Payment-75%Amount considered)	
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	₹50 47930560	
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	₹0 5751667	
3.	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	₹0 329861	
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	₹0 4793056	
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	58805144	

नोट: (I) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स सुएज इण्डिया प्राठलिठ द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ०प्रठ जल निगम, लखनऊ द्वारा माह सितंबर 2020 की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स सुएज इण्डिया प्राठलिठ को अवमुक्त की जाये।

(II) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-6, आगरा जोन (मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-4)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0स0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिंगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
1	10 th Payment Certificate/ Bill- Sept, 2020	रू० 33478788.57 (फर्म को भुगतान रू० 30114989.79 + जीएसटी रू० 3613798.78) - Proposed LD of रू० 250000.00	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

ਜ. ਜ.	विवरण	10 th Payment Certificate/ Bill- September 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	₹ 29864961.06
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	₹0 3583795.33
3.	प्यूल चार्जेस (As per actual certified by UPJN)	₹0 00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (१० प्रतिशत)	₹0 2986496.11
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	36435252.5

नोट: (I) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा माह सितंबर 2020 की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

(iii) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज–८, गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुज्जफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ,अनूपशहर) (मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक–5)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रूपये में)	टिप्पणी
	(गाजियाबाद, मेरठ, सहारन	गाजियाबाद जोन पुर, लोनी, मुज्जफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिल	खुआ,अनूपशहर)
1	^{10th} Payment Certificate / Bill- Sept, 2020		अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन—4 में भूगतान की

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.स.	विवरण	10 th Payment Certificate/ Bill- September, 2020
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	35619725.78
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	4274367.09
3.	पयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	719211.00
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज/ सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	3561972.58
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	44175276.45

ाट : (II) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा माह सितंबर 2020 की लिम्बत धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

(iv) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-5, गोरखपुर जोन (गोरखपुर, आयोध्या एवं सुल्तानपुर) (मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड) के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-6)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र0सं0	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या	सुल्तानपुर
1	Payment Certificate/ Bill- 10 th Sept, 2020	रू० 3953007.48 (फर्म को भुगतान रू० 3284097. 48 + जीएसटी रू० 394092+ डीजल रू० 274818)	Not submitted	Not submitted
1	Payment Certificate/ Bill- 11 th oct, 2020	रू० 4813297.99 (फर्म को भुगतान रू० 4209058. 93 + जीएसटी रू० 505087. 06+ डीजल रू० 99152)	Not submitted	Not submitted

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र. स.	विवरण	Payment Certificate/ Bill- 10 th September, 2020 (Fixed Cost-60% Payment)	, ,
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3278725.80	4209058.93
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	393447.10	505087.07
3.	पयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	274818	99152
4.	उ०प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	327872.58	420905.89
6	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि	4274863.48	5234203.89
7	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	950906	37.37

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेमेन्ट सर्टीफिकेट / बिल के साथ Treated effluent की प्रमाणित लैब रिपोर्ट थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है। अतः अनुबन्ध के सेक्शन—IV, क्लाज 39 के अनुसार, Monthly Contract Value की Fixed Cost i.e 60 % धनराशि अवमुक्त किया गया है तथा Monthly Contract Value की Variable Cast i.e. 40% धनराशि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

नोट : (I) अनुबन्ध की शर्तों के तहत मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड द्वारा Escrow Account में वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से संबंधित महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल

नगम, गोरखपुर द्वारा माह सितंबर 2020 तक की लम्बित धनराशि को Escrow Account में ट्रॉन्सफर करने के उपरान्त अवशेष धनराशि मेसर्स तोसिबा वाटर सलूशन्स लिमिटेड को अवमुक्त की जाये।

अनुबन्ध के Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष प्रस्ताव—

महाप्रबन्धक य0प0नि0इकाई, उ०प्र0 जल निगम आगरा के पत्रांक 2253 / Payment O/M VATech Wabag/49, दिनांक 09.10.2020 के द्वारा वि0 / यॉ0 कार्यों से संबंधित 07 एसटीपी (78, 40, 24, 14, 12, 10, 2.25 एम०एल०डी०) पर फ्लोमीटर लगाने का प्रस्ताव कुल धनराशि रू० 36.49 लाख, अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया है।

निर्णय : जल निगम द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्ताव की In-Principle approval प्रदान की जाती है। महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, आगरा उक्त प्रस्ताव नियमानुसार जल निगम की प्रक्रिया के अनुरूप मुख्य अभियन्ता, आगरा एवं पी0पी0आर0बी0डी0 की स्वीकृत/अनुमोदन के उपरान्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। उपरोक्त प्रस्ताव संख्या-(v) : फ्लो मीटर संबंधित कार्य को, जल निगम द्वारा आमंत्रित ओ०सी०एम०एस० बिड के स्कोप ऑफ वर्क से क्रास चेक कर लिया जाये। यदि दोनों मद ओ०सी०एम०एस० बिड में सम्मिलित है तो इस मदों को ओ०सी०एम०एस० बिड के स्कोप ऑफ वर्क से हटा दिया जाये, जिससे डुप्लीकेसी की सम्भावना न रहें। (कार्यवाही- महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एस०टी०पी० के हस्तांन्तरण संबंधित प्रस्ताव —

(vi) महाप्रबन्धक य0प0नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम आगरा के पत्रांक 2355 / STP/96 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है कि आगरा विकास प्राधिकरण के सी०एण्डडी०एस० द्वारा निर्मित 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन बिचपुरी एवं 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० कालिन्दी बिहार का निरीक्षण कर सामान्य मरम्मत के कार्य कराकर दोनों एस०टी०पी० को सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया है। नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा / महाप्रबन्धक य0प0नि0इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा उपरोक्त दोनों एस0टी0पी० को ओ०एम०एण्डएम० कान्ट्रेक्ट में सम्मिलित किये जाने तथा हस्तांन्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की घांछित स्वीकृति प्रदान की अनुरोध किया है।

निर्णय : नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा / महाप्रबन्धक य०५०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा की संस्तुति के अनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों एसटीपी एवं इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा-पंपिंग स्टेशन एवं सीवर नेटवर्क के संबंध में आपरेशन मेंटीनेंस एवं मैनेजमेंट हेतु वन सिटी वन आपरेटर कांट्रेक्ट के तहत अनुबंध के अंतर्गत प्रोविजन वैरिएशन क्लाउज के आधार पर सम्मिलित किया जाना उचित है। तदनुसार महाप्रबन्धक य0प0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वित्तीय प्रस्ताव फर्म से प्राप्त कर एवं परीक्षण करते हुए निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाय। साथ ही साथ हस्तांतरण संबंधित शर्तों को भी ड्राफ्ट कर लिया जाए।

समयवृद्धि प्रस्ताव-

मुख्य अभियन्ता (गंगा) उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक संख्या—642 / 022—407(B) / 2020 दिनांक 30.09. 2020 / मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्रांक-727 / गोप०समयवृद्धि / 2036 / 20 दिनांक 24.09.2020 द्वारा Force Majeure(Non Political event) को लागू करते हुए पैकेज-6 आगरा जोन हेतु गठित अनुबंध के Clause 39.4(II) (P-142) में दी गई समयसीमा छः माह में कोविड-19 महामारी के कारण 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की समयवृद्धि अनुमोदन / स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

निर्णय : समिति द्वारा प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक 68 दिन की समयवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विद्युत बिल-

(viii) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा के पत्र संख्या—2471 / Payment O&M VATech Wavag/58 दिनांक 05.11.2020 एवं 2252 / Payment O&M VATech Wavag/48 दिनांक 09.10.2020 द्वारा 05 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0 के दिनांक 01.09.2020 से 30.09.2020 तथा 01.10.2020 से 31.10.2020 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रू0 81,46,965.54 (इक्यासी लाख छियालीस हजार नौ सौ पैसठ व पैसे चौवन मात्र) एवं रू0 77,24,829.06 (सतहत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ उन्तीस व पैसे छः मात्र), निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि टोरन्ट पावर लिमिटेड को भुगतान किया जाना है। उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 1,58,71,794.60 की स्वीकृति वांछित है।

निर्णय : महाप्रबन्धक, य0प्र0नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा उक्त प्रमाणित विद्युत बिल की स्वीकृति शासन से प्रदान किए जाने की संस्तुति की गयी। तद्नुसार वास्तविक प्रमाणित विद्युत बिल टोरन्ट पावर लिमिटेड को भुगतान किया जायेगा।

(ix) अन्य बिन्दु प्रमुख सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा।

मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग के प्रतिनिधि द्वारा गाजियाबाद एवं आगरा जोन से संबंधित कुछ बिंदु बैठक में उठाए गए जो निम्नानुसार है—

1 आगरा एवं गाजियाबाद जोन से संबंधित वैरिएशन प्रस्ताव की स्वीकृति।

2 अनुबंध के तहत फिक्स्ड कास्ट(60%) एवं वैरिएबंल कास्ट(40%) की प्रक्रिया निर्धारित है। महाप्रबंधक, उ०प्र० जल निगम द्वारा वैरिएबंल कास्ट(40%) का पेमेंट एसटीपी के कैपिसिटी के अनुसार किया जाना चाहिए न कि वास्तविक ट्रीटेड इफ्लूएण्ट की क्वांटिटी के सापेक्ष।

3 Force Majeure (Non Political event) के अंतर्गत प्रथम लाकडाउन दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी है। नियोक्ता द्वारा उक्त अविध में किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगायी जानी चाहिए तथा ОМ&М ВІІІ का भुगतान Force Majeure (Non Political event) के अंतर्गत प्रदान की गयी समयवृद्धि 68 दिन के सापेक्ष अनुबंध की सेक्शन—iv, क्लाउज 39.4(ii): for initial six month के अनुसार बिना किसी कटौती के किया जाना चाहिए।

4 अनुबन्ध के Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम स्तर से शीघ्र उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे समय से कार्य किया जा सके।

निर्णय : उक्त के संबंध में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

1 मुख्य अभियंता / महाप्रबंधक उ०प्र० जल निगम, द्वारा आगरा एवं गाजियाबाद जोन से संबंधित वैरिएशन प्रस्ताव के संबंध में अनुबंध के प्राविधान एवं आरएफपी के तहत स्पष्ट टिप्पणी एवं संस्तुति निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

2 अनुबंध के सेक्शन—iv, क्लाउज 39 में पेमेंट सर्टिफिकेट / बिल के फिक्स्ड कास्ट(60%) एवं वैरिएबल कास्ट(40%) की प्रक्रिया निर्धारित है। जिसके क्लाउज 39.4, पैरा iii: after six month upto contract period, पैरा iv, पैरा v में स्पष्ट किया गया है कि वैरिएबल कास्ट(40%) Treated effluent से लिंक है न कि एसटीपी की कैपिसिटी से। अतः after six month payment certificate/bill के प्रमाणित भुगतान उचित हैं एवं अनुबंध के प्राविधान के अनुसार किए जा रहे है।

3 Force Majeure (Non Political event) के अंतर्गत दिनांक 25.03.2020 से चतुर्थ लाकडाउन दिनांक 31.05.2020 तक समयवृद्धि प्रदान की गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि Force Majeure (Non Political event) के अंतर्गत प्रदान की गयी समयवृद्धि 68 दिन के सापेक्ष किसी प्रकार की पेनाल्टी, मुख्य अभियंता / महाप्रबंधक उ०प्र० जल निगम, द्वारा नहीं लगायी जाय तथा ОМ&М Ві॥ का भुगतान किये जाने के बिंदु पर Force Majeure (Non Political

event) के अंतर्गत प्रदान की गयी समयवृद्धि 68 दिन के सापेक्ष अनुबंध की सेक्शन—iv, क्लाउज खें 39 कि initial six month एवं अन्य प्राविधान के अनुसार, परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति निदेशालय को उपलब्ध करीया जाय। 4 महाप्रबंधक उ०प्र० जल निगम, अनुबन्ध द्वारा Section-II, Clause 2.2, Major replacement fund के सापेक्ष प्रस्ताव को पी०पी०आर०बी०डी० से चेक / वेट कराने के उपरान्त स्वीकृत / अनुमोदन हेतु निदेशालय को शीघ्र प्रेषित किया जाये। जिससे समय से Major replacement fund के कार्य संपादित किये जा सके।

उपरोक्तानुसार पैरा (i, ii, iii एवं iv) में उल्लेखित कुल धनराशि रू० 148924740.32/— (रू० 58805144.00, रू० 36435252.50, रू० 44175276.45 एवं रू० 9509067.37) उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तो एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।

शासनादेश संख्या—849/नौ—9—19—89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या—892/नौ—9—20—89ज/2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा रु० 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को उक्त धनराशि रु० 148924740. 32/— (चौदह करोड़ नौवासी लाख चौबीस हजार सात सौ चालीस व पैसे बत्तीस मात्र) अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है। यह कार्यवृत्त समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन दिनांक 21.12.2020 के क्रम में जारी किया गया है।

८५ निदेशक,नगरीय निकाय निदेशालय

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1. सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 4. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 5. मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्डएम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7. समस्त संबंधित, उ०प्र० जल निगम/जलकल विभाग/ओ०एम०एण्डएम० फर्म।

मुख्य अमियंता, नगरीय निकाय निदेशालय